

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 736/2026

किशुनी देवी एवं 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: अखिलेश कुमार तिवारी, अरुण कुमार

प्रतिवादि(यों) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 54माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

- याची के विद्वान अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार तिवारी तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
- वर्तमान रिट याचिका अन्य बातों के साथ निम्नलिखित प्रतिकार के लिए प्रस्तुत की गई है:-

"i. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश अथवा निर्देश करते हुए प्रतिवादी संख्या 4/चकबंदी अधिकारी, बदलापुर, जनपद जौनपुर को यह समादेशित/निर्देशित किया जाए कि वह अपने समक्ष लंबित प्रार्थना पत्र दिनांक 23.07.2025 का निस्तारण इस माननीय न्यायालय द्वारा नियत की जाने वाली निर्धारित समयावधि के भीतर करे।"
- यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रारंभिक चकबंदी योजना में याची संख्या 1 एवं 2 को गाटा संख्या 376/12 मि. से युक्त चक संख्या 169 प्रस्तावित किया गया है। श्रीमती किशुनी देवी (याची संख्या 1) द्वारा अपने गाटा संख्या 376/12 के सीमांकन एवं कब्जा दिलाए जाने हेतु दिनांक 23.07.2025 का एक प्रार्थना पत्र उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। चकबंदी अधिकारी ने आदेश दिनांक 23.07.2025 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के हाशिये पर विधि के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही हेतु सहायक चकबंदी अधिकारी को निर्देश अंकित किया है। उक्त प्रार्थना पत्र अभी तक विचाराधीन है तथा आज तक सीमांकन एवं कब्जा दिलाए जाने हेतु, जैसा कि विधि के अनुसार अपेक्षित है, कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया है।
- यदि उपर्युक्त मामले के यथाशीघ्र निस्तारण हेतु कोई निर्देश जारी किया जाता है, तो विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।

- उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में, इस मामले को लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। अतएव, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका में उठाए गए मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

बिना, वर्तमान रिट याचिका को चकबंदी अधिकारी (प्रतिवादी संख्या 4), जिनके समक्ष उपर्युक्त मामला निस्तारण हेतु लंबित है, को इस निर्देश के साथ अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है कि यदि कोई अन्य विधिक बाधा न हो, तो वह इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से यथाशीघ्र, अधिमानतः तीन माह की समयावधि के भीतर, विधि के अनुसार इसका निस्तारण करें।

6. उपर्युक्त निर्देश के साथ, वर्तमान आवेदन निस्तारित किया जाता है।

12 मार्च, 2026

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

Translated Version. Not for Legal Use.